पत्रांक : 11/वि1–50/2013........1013

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक :

सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

पटना, दिनांक : 29.03. 2017

विषय : **माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 817 दिनांक 20.03.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित कर सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव को संसूचित किया गया है। पूर्व में विभागीय पत्रांक–2064 दिनांक 23.12.16 द्वारा नियोजन से संबंधित निर्धारित कार्यक्रम के आलोक में मात्र 10 जिलों में नियोजन की प्रक्रिया संपन्न हो सकी है। शेष जिले में संबंधित पदाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा नियोजन कार्यक्रम को संपन्न करने में रूची नहीं लिये जाने के कारण नियोजन कार्यक्रम पूर्णतः बाधित हुई है।

निदेशानुसार प्रसंगाधीन पत्र (संलग्न) द्वारा पंचम चरण अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही आप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित जिले में नियोजन की प्रक्रिया का अनुश्रवण के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। अनुश्रवण के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन अनिर्वाय रूप से सुनिश्चित करायी जाय :–

1. जिलान्तर्गत सभी नियोजन इकाई जिला मुख्यालय में एक ही परिसर में कॉउन्सिलिंग एवं नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी का दायित्व होगा की सभी नियोजन इकाई के सदस्य सचिव से समन्वय स्थापित कर नियोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
2. निर्धारित तिथि को अनिर्वार्य रूप से संबंधित नियोजन इकाई की बैठक आहूत हो।
3. नियोजन से संबंधित उक्त कार्यक्रम में निदेशालय के पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
4. नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत एवं जिला परिषद् में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तर पर आहूत होने वाले बैठक में सम्मिलित होने हेतु संबंधित नियोजन इकाई को सदस्य सचिव द्वारा आवश्यक निदेश दिया जायेगा। निर्धारित तिथि में जिला परिषद् नगर निकाय के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें। औपचारिक रूप से सूचित करने के बावजूद यदि निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें Deemed रूप से उपस्थित मानते हुए नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जायेगी। यदि सदस्य सचिव निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होंगे तो अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2006 के नियम 14 के उप नियम (ग) के प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध संगत अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदित किया जाय।

5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा के मूल निर्गत सी०डी से मिलान के उपरांत ही नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. नियोजन इकाई द्वारा कॉउन्सिलिंग के क्रम में नियोजन पत्र निर्गत करने के पूर्व शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई में जमा कराना अनिवार्य होगा।
7. उपर्युक्त कार्यक्रम के आलोक में नियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में निम्न प्रपत्र में सूचना कॉउन्सिलिंग के दिन ही संबंधित नियोजन इकाई/जिलों द्वारा उनके NIC के वेबसाईट पर अपलोड करायी जाय।

प्रपत्र

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	विषय का नाम	मेधा सूची का क्रमांक/मेधा अंक	पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र का क्रमांक

विश्वासभाजन,
29/3
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 11/वि1–50/2013 ...1013... पटना, दिनांक...29.03...2017
प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
29/3
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 11/वि1–50/2013 ..1013.. पटना, दिनांक...29.03...2017
प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि इसे आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
29/3
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।